भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं :.2552

उत्तर देने की तारीख :04.08.2026

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नीति

2552. श्री विजय बघेल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए लागू की गई आरक्षण नीति का उद्देश्य क्या है;

(ख) उक्त नीति के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली श्रेणियां कौन-सी हैं तथा इसके तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ई.डब्ल्यू.एस. के लिए उक्त आरक्षण नीति लागू की है और इसके प्रभाव तथा लाभार्थियों के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा करने या कोई संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): से (ख): संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को अंतःस्थापित किया गया, जिससे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सिविल पदों तथा सेवाओं में नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस नीति का उद्देश्य उन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ प्रदान करना है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, तथा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में चिह्नित किया जाना है। साथ ही, वे व्यक्ति जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में चिह्नित नहीं किया जाएगा, भले ही उनके परिवार की आय कुछ भी हो: -

i) 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि;
ii) 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

(ग): छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का प्रावधान है, को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए, इसे राज्य सरकार में लागू नहीं किया गया है।

(घ): मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
